

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 1592

दिनांक :- 08/06/2018

आदेश संख्या : 104

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों को हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 में दिनांक 11/06/2018 से 03/08/2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 11/06/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	अक्षय कुमार जांगिड - [11713] सीता राम जांगिड, 11/05/1990, 1070/2013	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
2	अनिता यादव - [11037] सुभाष सिंह, 26/07/1984, 2022/2013	अधिकांशी अभियंता, खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खेतड़ी, झुंझुनूं
3	अनुशी गुप्ता - [11819] गोविंद प्रसाद सिंह, 28/02/1992, 1747/2013	आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
4	धीरज शर्मा - [13058] गंगा लाहरी शर्मा, 29/04/1992, 0/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अजमेर
5	जितेंद्र सिंह शेखावत - [10345] मदन सिंह, 07/04/1993, 376/2013	कोषाधिकारी (सचिवालय), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
6	लोकेंद्र कुमार शर्मा - [10066] राम लाल शर्मा, 06/01/1992, 877/2013	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, अजमेर
7	मोनिका हर्षवाल - [12531] जगदीश हर्षवाल, 02/10/1993, 2421/2013	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, वन विभाग, जयपुर
8	नरेंद्र कुमार वर्मा - [12138] शम्भु दयाल वर्मा, 01/12/1994, 2236/2013	आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
9	नीलीमा गुप्ता - [10095] दिलीप कुमार गुप्ता, 07/05/1989, 1928/2013	सहायक निदेशक अभियोजन, विधि विभाग, अजमेर
10	नेहा सैनी - [11860] पी सी वर्मा, 10/05/1993, 1353/2013	निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर
11	पवन सैन - [11711] जुगल किशोर सैन, 03/05/1992, 1052/2013	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
12	पायल जैन - [11655] पारस जैन, 26/12/1992, 917/2013	कोषाधिकारी (पेंशन), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
13	प्रियंका शर्मा - [12105] रामशरण शर्मा, 28/06/1992, 1643/2013	प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडीकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
14	रीनू जैन - [11731] महेन्द्र कुमार जैन, 07/10/1984, 1920/2013	आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर
15	संतोष कुमारी मीणा - [12448] कल्याण सहाय मीणा, 31/08/1991, 3217/2013	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक विभाग, जयपुर
16	सरिता यादव - [12054] मुरली धर यादव, 01/01/1990, 1495/2013	तहसीलदार, राजस्व विभाग, शाहपुरा, जयपुर
17	सुनीता अग्रवाल - [12094] श्रवण कुमार अग्रवाल, 12/05/1987, 1587/2013	प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडीकल कॉलेज, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
18	सुनीता सिंह मेहरा - [12003] हनुमान सिंह, 01/08/1977, 3199/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, अजमेर
19	सुशीला चौधरी - [12324] श्रवण लाल चौधरी, 10/06/1992, 2059/2013	सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एक्स काडर), जयपुर
20	विजय लक्ष्मी - [12194] शंकर लाल गुप्ता, 30/09/1993, 1805/2013	निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 1592

दिनांक :- 08/06/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।

. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म समस्त कार्मिकों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।

. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....

.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावे क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

. सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।

. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।

. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)